



## प्रेस नोट जनपद खीरी

**दिनांक 19.09.2025**

**पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।**

### **थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष हैदराबाद के नेतृत्व में आज दिनांक- 19.09.2025 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों 1.झनकारी पुत्र माधवराम निवासी ग्राम कैथोला थाना हैदराबाद जनपद खीरी 2.परशुराम उर्फ साधु पुत्र चेतईलाल निवासी ग्राम छिछौना थाना हैदराबाद खीरी 3.आला उर्फ गिरिश पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम शाहबुद्दीनपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

#### **गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-**

- 1.झनकारी पुत्र माधवराम निवासी ग्राम कैथोला थाना हैदराबाद जनपद खीरी (संबंधित वाद संख्या 1591/17 धारा 3/25 A. Act)
- 2.परशुराम उर्फ साधु पुत्र चेतईलाल निवासी ग्राम छिछौना थाना हैदराबाद खीरी (संबंधित वाद संख्या 1529/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम)
- 3.आला उर्फ गिरिश पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम शाहबुद्दीनपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी (संबंधित वाद संख्या 649/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम)

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 अशोक कुमार सिंह थाना हैदराबाद जिला खीरी
- 2.हे0का0 राजू वर्मा थाना हैदराबाद खीरी
- 3.का0 धर्मेन्द्र वर्मा थाना हैदराबाद जिला खीरी
- 4.का0 सुरेश कुमार थाना हैदराबाद खीरी
- 5.का0 संजीव कुमार थाना हैदराबाद खीरी

**थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त ओंकार उर्फ ओमकार वर्मा पुत्र धनीराम वर्मा को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना फरधान के नेतृत्व में आज दिनांक- 19.09.2025 को थाना फरधान पुलिस द्वारा, मु0नं0 114/05 अ0सं0 882/04 धारा 279/338 भादवि में वारण्टी अभियुक्त ओंकार उर्फ ओमकार वर्मा पुत्र धनीराम वर्मा निवासी ग्राम कौरैय्या चमरू थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-**

1.ओंकार उर्फ ओमकार वर्मा पुत्र धनीराम वर्मा निवासी ग्राम कौरैय्या चमरू थाना फरधान जनपद खीरी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना फरधान जनपद खीरी
- 5.का0 विकास कुमार थाना फरधान जनपद खीरी

**थाना फरधान पुलिस द्वारा, मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 02 नफर अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना फरधान के नेतृत्व में आज दिनांक- 19.09.2025 को थाना फरधान पुलिस द्वारा, मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण कर मु0अ0सं0 365/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 नफर अभियुक्तों 1.सुरेश कुमार शुक्ला पुत्र रमाशंकर शुक्ला 2.समीर उर्फ जग्गा पुत्र वारिश अली निवासीगण ग्राम सैदापुर भाऊ थाना फरधान जनपद खीरी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

**संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 02.08.2025 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी श्री मोहित कुमार शर्मा पुत्र सुत्तनलाल निवासी ग्राम सैदापुर भाऊ पोस्ट मन्योरा थाना फरधान जिला लखीमपुर खीरी के घर के बाहर से एक मो०सा० पंजी० सं० UP40BO-7156 चोरी होने के संबंध में अज्ञात चोर के विरुद्ध थाना फरधान जिला खीरी पर दिनांक 18.09.2025 को मु0अ0सं० 365/2025 धारा 303(2) बीएनएस० पंजीकृत कराया गया था। उक्त चोरी की घटना का खुलासा करते हुये थाना फरधान पुलिस द्वारा चैकिंग। रात्रि गस्त के दौरान 02 नफर अभि० गण 1. सुरेश कुमार शुक्ला पुत्र रमाशंकर शुक्ला उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम सैदापुर भाऊ थाना फरधान जिला खीरी 2. समीर उर्फ

जग्गा पुत्र वारिश अली उम्र करीब 25 वर्ष नि० ग्राम सैदारपुर भाऊ थाना फरधान जिला खीरी को मय चोरी की मो० सा० के साथ गिरफ्तार किया गया। अभि० गण ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल हम दोनो ने एक माह पूर्व अपने ही गांव से चोरी की थी तथा और कडायी से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनो ने करीब 18 माह पहले भी एक मोटर साइकिल रुकन्दीपुर से चोरी की थी जिसका ढाँचा पहले व्यक्ति सुरेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मेरे घर के कमरे मे रखा है तथा पूछने पर बताया कि यह मो०सा० जो आपने पकडी है हम बेचने जा रहे थे तथा जिस मो०सा० का ढांचा कमरे में है उसका सामान हमने बेच दिया था तथा पैसों को आपस में बांट लिया था। अभि०गण की निशांदेही पर मोटरसाइकिल के ढांचे को बरामद किया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) BNS की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

- 1.सुरेश कुमार शुक्ला पुत्र रमाशंकर शुक्ला निवासी ग्राम सैदापुर भाऊ थाना फरधान जनपद खीरी
- 2.समीर उर्फ जग्गा पुत्र वारिश अली निवासी ग्राम सैदापुर भाऊ थाना फरधान जनपद खीरी

### **बरामदगी का विवरण**

- 1.एक अदद बजाज मो०सा० संख्या UP40BO7156
- 2.एक अदद मो०सा० ढांचा

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ०नि० अरविन्द कुमार थाना फरधान जनपद खीरी
- 2.हे०का० श्रवण कुमार थाना फरधान जनपद खीरी
- 3.का० गोविन्द कुमार थाना फरधान जनपद खीरी
- 4.का० सतपाल सिंह थाना फरधान जनपद खीरी

## थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी धौरहरा के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना फूलबेहड़ के नेतृत्व में आज दिनांक- 19.09.2025 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

### गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

- 1.गोविन्द पुत्र मातादीन निवासी सैदापुर निवासी ग्राम सैदापुर थाना फूलबेहड़ खीरी (संबंधित मु0सं0 4040/14 अ0सं0 364/08 धारा 60 आबकारी अधिनियम )
- 2.बालगोविन्द पुत्र स्व बदलू सिंह निवासी सैदापुर थाना फूलबेहड़ खीरी (संबंधित मु0सं0 6550/14 अ0सं0 173/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम)
- 3.राहुल पुत्र श्रीधर निवासी पसियनपुरवा मजरा गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ खीरी
- 4.ऊषा पत्नी छोटकन्न निवासी सैदापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी (सम्बन्धित मु0सं0 4338/23 अ0सं0 326/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री श्रवण कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 2.उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार शर्मा, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 3.हे0का0 श्योदान सिंह थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 4.का0 मोनू, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 5.का0 विशाल गौड, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।

## वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1.थाना मितौली पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 241/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त मिथलेश पाल पुत्र रामदास पाल निवासी मोराजी थाना पिसावां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया ।

### अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 120 लीटर अवैध शराब बरामद कर 11 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **120 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **11 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किये गये।